

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के बनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूरी की मौति रहेता या आरक्षित बन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार बन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किया जाने पर सम्बन्धित बनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित बनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण बन भूमि पर बन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य बन सम्पदा से आच्छादित एवं बन जन्तुओं से भरपूर बन हेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जायेगा केवल अपारिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध वह होगा कि बन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिचाइ विभाग / जल निगम द्वारा बन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं बन विभाग के कर्मचारियों की निश्चल जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित बन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग रास्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर बन भूमि स्वतं बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को वापस हो जायेगी। बन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित बवन आदि रखत बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को ग्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर बन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या ६०८ रु० दिनांक १०-२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा बन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. बन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. बन भूमि पर खड़े वृक्षों का निराशण बन विभाग उत्तराखण्ड बन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो बन विभाग उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरस्तान्तरण बन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण लक्ष्य ३ वर्ष तक परिपाण्य व्यय जो भी बन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग बन विभाग को करेगा। १००० मीटर एवं ३० डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निरिद्ध है इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पालन भी निरिद्ध है। ऐसे उड़ी के पालन का निरीक्षण बन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. बन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊचा करके इस सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त रूप से निरीक्षण करके सम्बन्धित उप बन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अंग आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा बन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. बन भूमि का वार्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सम्बन्ध से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि बन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खड़, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासन अभियन्ता
निर्माण खड़, लो.नि.वि.
कपकोट